

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 412/18 तारीख रजू. 6/3/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का गाजीपुर बनाम श्री चिममन पुत्र लहमण जाति कुम्हार निवासी गाजीपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 20/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री चिममन ने ग्राम गाजीपुर को भूमि ख.न. 568 रकबा 0.01 किस्म धरानी कसल रोवे / खसक संवत 20 74 में अरसो कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 568 रकबा 0.01 किस्म धरानी वाके ग्राम गाजीपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.060150 गुणा 32% शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल अरसो को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 82 पर वर्ष 2017-18 में निलामी की राशि तादादी 32000 की जमा कायमी की गई दिनांक 20/3/18 तहसील लेखाकार महवा